

[12 December, 2006]

RAJYA SABHA

कि झारखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नगण्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि केन्द्र सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि बिहार का 2.95 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ सुरक्षित क्षेत्र है। यह तो तथ्यपरक और सही है किन्तु इसके विपरीत कितना क्षेत्र अभी भी बाढ़ से असुरक्षित है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से न तो आंकड़े प्रकाशित किए जा रहे हैं और न ही नक्शों के द्वारा बाढ़ असुरक्षित क्षेत्र को दर्शाया ही जा रहा है। यह भी कि बिहार सरकार के द्वारा गठित द्वितीय सिंचाई आयोग का जो प्रतिवेदन बिहार के पुनर्गठन के पूर्व केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराया गया था, उसके निष्कर्ष और भारत सरकार के नवीनतम आकलन में एकरूपता नहीं है।

अतः मैं इस संबंध में सही स्थिति स्पष्ट करने के लिए विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

Concern over dilapidated condition of Government accommodations in Delhi

श्री समन पाठक (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, ससंद भवन परिसर से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थिति बी०के०एस० मार्ग पर स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के भवनों 1100 सरकारी आवास अत्याधिक उपेक्षा के शिकार हुए हैं। फलतः पिछले पांच छः सालों से कई सारे भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था की ओर अग्रसित हैं तथा ढहने और गिरने की व्यवस्था में आ गए हैं। यदि थोड़ा सा भूकंप आदि का झटका आएगा तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पुनर्वास कार्यक्रम के अंदर पुराने जमाने के जर्जर हो चुके सामूहिक पानी के सीमेंटेड सिंटेक्स टैंक लगाए जाएं, साथ ही प्रथम और द्वितीय तलों के क्वार्टरों की बॉलकोनियों में बरसात के पानी से बचाव के लिए फाइबर अथवा धातु के छज्जा और क्वार्टरों के फर्श में टाइल्स भी लगाई जाए। इसके अलावा सुरक्षा हेतु सभी क्वार्टरों के मुख्य द्वारों पर लोहे का ग्रिल गेट, आवंटियों से पैसा लिए बगैर लगाए जाएं। चार दिवारियों पर आए दिन चोरियों को रोकने हेतु गोलाकार कांटेदार तार, और गेटों पर डोम लाइट, पेरिफेरल रोड के अतिक्रमण को हटाते हुए लगाए जाएं।

Demand to repeal the order to appoint the central statutory auditors of public sector banks by the board of directors

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Sir, I wish to bring to the notice of the House a matter of urgent public importance. Over a time, the system of appointment of Central Statutory Auditors and Branch Statutory Auditors in public sector banks by the Reserve Bank of India has